तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **महेन्द्र सिंह भाटी** **बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम))** सू.अ.अपील संख्या 53 / 2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24–09–24	अपीलार्थी महेन्द्र सिंह भाटी निवासी भाटी चौराहा, म•रा पूंजला, म.डोर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन 05 / 05 / 24 में मगरा पूंजला के महेश गहलोत द्वारा रामतलाई नाडी चैनपुरा मगरा के खसरा नम्बर 522 के कैचमेन्ट एरियों में दुकानों का अवैध निर्माण करने की दिनांक 08.03.2024 व 05.04.2024 से एवं सूचना दिये जाने तक अन्य पत्र जो जिला कलक्टर को प्रेषित किये गये शिकायती पत्रों की समस्त सत्यापित प्रतियां एवं अन्य बिन्दुओं से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम)) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम)) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम)) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम)) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर जोधपुर	